**बिहार सरकार**
**सामान्य प्रशासन विभाग**

**।। अधिसूचना ।।**

पटना–15, दिनांक–17-2-17

संख्या–14/प्रो० 119/2016 1958 सा०प्र०–बिहार प्रशासनिक सेवा के संयुक्त सचिव/समकक्ष स्तर ( पे–बैंड ₹ 37,400– 67,000/–, ग्रेड पे ₹ 8,700/–), के श्री नरेन्द्र कुमार सिन्हा, कोटि क्रमांक–413/11 अपर समाहर्ता (लोक शिकायत निवारण)–सह–जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, अरवल (अपर समाहर्त्ता स्तर का पद संयुक्त सचिव स्तर में उत्क्रमित) को विभागीय परिपत्र सं0–4800 दिनांक–1.04.2016 के आलोक में अपर सचिव/ समकक्ष स्तर ( पे–बैंड ₹ 37,400–67,000/–, ग्रेड पे ₹ 8,900/–) में दिनांक –1.10.2016 के प्रभाव से वैचारिक रूप से प्रोन्नति दी जाती है।

2. उपर्युक्त प्रोन्नति औपबंधिक है तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन एस0एल0पी0 (सी0) संख्या–29770/2015, बिहार सरकार बनाम सुशील कुमार सिंह एवं अन्य में पारित आदेश के फलाफल से प्रभावित होगी ।

3. श्री नरेन्द्र कुमार सिन्हा, कोटि क्रमांक–413/11 द्वारा धारित पद को उनके पदस्थापन अवधि तक के लिए अपर सचिव/समकक्ष स्तर में उत्क्रमित करते हुये उन्हें उसी पद पर पदस्थापित किया जाता।

4. श्री सिन्हा को पदभार ग्रहण करने की तिथि से आर्थिक लाभ देय होगा ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

17/2/2017

( केशव कुमार सिंह )
सरकार के संयुक्त सचिव ।

ज्ञापांक 14/प्रो० 119/16 सा०प्र०–1958 / पटना–15,दिनांक–17-2-17

प्रतिलिपि : प्रभारी पदाधिकारी, ई गजट कोषांग, वित विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ ( आई0टी0 मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग, पटना के माध्यम से )/महालेखाकार बिहार, पटना/ प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, बिहार, पटना / प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार, पटना/मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, बिहार, पटना / प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/प्रमंडलीय आयुक्त, मगध प्रमंडल, गया/जिला पदाधिकारी, अरवल/जिला कोषागार पदाधिकारी, अरवल/ श्री नरेन्द्र कुमार सिन्हा, कोटि क्रमांक–413/11 अपर समाहर्ता (लोक शिकायत निवारण)–सह–जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, अरवल / सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के सभी पदाधिकारी/ प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा– 2, 8 एवं चारित्री कोषांग, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

17/2/2017

सरकार के संयुक्त सचिव ।